[लोक सभा द्वारा 10 अप्रैल, 2017 को पारित रूप में]

2017 का विधेयक संख्यांक 71-सी

[दि कांस्टिट्यूशन (वन हन्ड्रेड एंड ट्वेन्टी-थर्ड अमेंडमेंट) बिल, 2017 का हिन्दी अनुवाद]

संविधान (एक सौ तेइसवां संशोधन) विधेयक, 2017

भारत के संविधान का और संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (एक सौ दोवां संशोधन) अधिनियम, 2017 है ।

5 (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

अनुच्छेद 338 का संशोधन ।

2. संविधान के अनुच्छेद 338 के खंड (10) में, ''ऐसे पिछड़े वर्गों के प्रति निर्देश, जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश भी है'' शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, ''आंग्ल-भारतीय समुदाय के प्रति निर्देश है'' शब्द रखे जाएंगे ।

नए अनुच्छेद 338ख का अंत:स्थापन ।

3. संविधान के अनुच्छेद 338क के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

''338ख. (1) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नामक एक आयोग होगा ।

(2) संसद् द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अध्यधीन, आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन अन्य सदस्य होंगे तथा इस प्रकार नियुक्त अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा की शर्तें और पदावधि ऐसी होंगी, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें ।

(3) आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे ।

(4) आयोग को अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करने की शक्ति होगी ।

(5) आयोग के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे--

(क) इस संविधान के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या सरकार के किसी आदेश के अधीन सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षापायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और मानीटर करना ;

(ख) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के अधिकारों से वंचित किए जाने और रक्षापायों के संबंध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना ;

(ग) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में सलाह देना तथा संघ और किसी राज्य में उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना ;

(घ) राष्ट्रपति को, वार्षिक रूप से और ऐसे अन्य समयों पर, जो आयोग उचित समझे, उन रक्षापायों के कार्यकरण पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना ;

(ड.) ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में सिफारिशें करना, जो संघ या किसी राज्य द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए, उन रक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, किए जाने चाहिए ; और

(च) सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो राष्ट्रपति, संसद् द्वारा किए गए उपबंधों के अध्यधीन नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करें ।

(6) राष्ट्रपति, ऐसी सभी रिपोर्टों को, संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा ।

(7) जहां ऐसी कोई रिपोर्ट या उसका कोई भाग किसी ऐसे मामले से संबंधित है, जिसका संबंध राज्य सरकार से है, वहां ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी, जो उसे, राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन और ऐसी किसी सिफारिश की अस्वीकृति के कारणों, यदि कोई हों, सहित राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

(8) आयोग को, खंड (5) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण या उपखंड (ख) में निर्दिष्ट किसी शिकायत की जांच करते समय किसी वाद का विचारण करने वाले सिविल न्यायालय की, और विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों की बाबत सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :--

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना ;

(ड.) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ;

(च) कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति नियमों द्वारा अवधारित करें ।

(9) संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी मुख्य नीति विषयक मामलों पर आयोग से परामर्श करेगी ।

नए अनुच्छेद 342क का अंत:स्थापन ।

4. संविधान के अनुच्छेद 342 के पश्चात् निम्नलिखित अनुच्छेद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग ।

''342क. (1) राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में और जहां कोई राज्य है, वहां उसके राज्यपाल से परामर्श के पश्चात् लोक अधिसूचना द्वारा सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से ऐसे पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करेगा, जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग होने के रूप में समझे जाएंगे ।

(2) संसद् विधि द्वारा खंड (1) के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में या उससे किसी सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सम्मिलित या अपवर्जित कर सकेगी, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी किसी अधिसूचना में किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।''।

अनुच्छेद 366 का संशोधन ।

5. संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (26ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

'(26ग) ''सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों'' से ऐसे पिछड़े वर्ग अभिप्रेत हैं, जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342क के अधीन पिछड़ा वर्ग होना समझा गया है ;'। 5

GMGIPMRND—444LS(CRC)—10-4-2017.